

प्रेषक,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

सेवा में,

सहायक निदेशक/आहरण वितरण अधिकारी,
डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड,
पिथौरागढ़।

पत्रांक 100399/2024-DAIRY DEVELOPMENT DIRECTORATE-DEPT-DAIRY (Computer No. 84428) दिनांक 29 जुलाई 2024
विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास,
102- डेरी विकास परियोजनायें 04-महिला डेरी विकास योजना (सामान्य) में धनराशि का
आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-248/XV-2-2024-01(06)/2018 दिनांक 12 जून 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक 2404-00-102-04- महिला डेरी विकास योजना (सामान्य) अन्तर्गत मानक मद-56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में रु0 3,28,52,400 की स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष कार्यालय निदेशक, महिला डेरी विकास उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्र सं0 149-51 दिनांक 24.07.2024 के द्वारा उपलब्ध करायी गई मदवार फॉट (संलग्न) के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ को रु0 12,55,175 (रूपया बारह लाख पचपन्न हजार एक सौ पचहत्तर) मात्र की धनराशि का आवंटन उक्त शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है।

- निदेशक, महिला डेरी विकास परियोजना, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनपदवार मांग की फॉट का 50 प्रतिशत धनराशि आवंटित की जा रही है। आवंटित धनराशि के व्यय होने के पश्चात् बजट आवंटन की द्वितीय किस्त जारी की जायेगी।
- उपरोक्त आवंटित की गयी धनराशि की फांट निम्नानुसार है-

क्र. सं.	जनपद / कार्यालय का नाम	महिला दुग्ध समितियों का गठन/ पुनर्गठन	सुपरवीजन, मॉनीटरिंग एवं एड-मिनिस्ट्रेशन	प्रोपलसन चार्जेज	प्रशिक्षण कार्यक्रम	ओवरराइडिंग कास्ट, एम0 आई0 एस0, स्टे0 आडिट आदि	योग
1	स0नि0डे0वि0, पिथौरागढ़	93,500	10,25,000	11,000	1,15,675	10,000	12,55,175

- धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या सहित सूचना प्रतिमाह की 03 ता0 तक प्रपत्र बी0एम0-04 पर निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

क्रमशः 2

-2-

6. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का आहरण एवं व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जाय। धनराशि का कोषागार से एकमुश्त आहरण न कर समय-समय पर आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाय। शासन की अनुमति के बिना, किसी भी दशा में धनराशि का आहरण पार्किंग ऑफ फण्ड हेतु न किया जाय।
7. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के वर्णित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्चोरमेंट रूल्स 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01(लेखा नियम) आय-व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनोदश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी.जी.एस.एन. डी की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा-निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाय।
9. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा। आवंटित धनराशि का उपयोग नियमानुसार 31 मार्च, 2025 से पूर्व शतप्रतिशत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
10. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास, 00-102-डेरी विकास परियोजनायें, 04-महिला डेरी विकास योजना-00-56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
संलग्न- बजट आई0 डी0/मदवार फॉट।

भवदीय,

Signed by Navin Chandra
BahugunaDate: 29/07/2024 11:40:26
(नवीन चन्द्र बहुगुणा)

वित्त अधिकारी

पत्रांक

/तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
2. प्रबंधक/प्रधान प्रबंधक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पिथौरागढ़।
3. निदेशक, महिला डेरी विकास परियोजना, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
4. सचिव (डेरी), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।

(नवीन चन्द्र बहुगुणा)
वित्त अधिकारी

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)
HOD-Director Dairy Development(2353)

Treasury-Pithoragarh(3800)

DDO-Assistant Director Dairy DevelopmentPithoragarh(2353)

आवंटन आई डी-M24070280041
आवंटन पत्र दिनांक-25-JUL-2024

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-028

लेखा शीर्षक

2404-डेपरी विकास
102-डेरी विकास परियोजनाएं
00-महिला डेरी विकास योजना

00--
04-महिला डेरी विकास योजना

Voted

2	4	0	4	0	0	1	0	2	0	4	0	0
मानक मद का नाम						पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय		योग		
56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)						0	1255175	0		1255175		
योग						0	1255175	0		1255175		

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.12,55,175 (Rupees Twelve Lacs Fifty Five Thousand One Hundred Seventy Five Only)

Batch ID : DIS:2353:2353:2407:0007
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Approved
SJ
APK

वित्त अधिकारी
डेरी विकास जलसंपादन
हल्द्वानी (नैनीताल)